



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2516]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936

No. 2516]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3114(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची-VI का संशोधन पौध संगरोध भारत में आयात का विनियमन

अनुसूची-2 में क्रम संख्या 63 तथा संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :—

‘64 पंची, गुजारन, सोनीपत	हरियाणा	इनलैंड कंटेनर डिपो	राष्ट्रीय पौध संगरोध स्टेशन, रंगपुरी
--------------------------	---------	--------------------	--------------------------------------

3. अनुसूची vi का संशोधन- पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची-VI में

(i) ब्रेसिका स्प कॉलम (3) में (फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि) से संबंधित क्र.सं. 53 में मद (i) तथा (ii) मद में बाद में मौजूदा प्रविष्टियों को जोड़ा जायेगा (ii) पुनः जोड़े गए तथा कालम (3) (4) (5) तथा (6) में इससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, जिनके नाम हैं:-

पौध सामग्री की श्रेणी	उत्पत्ति का देश	पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में शामिल किए जाने हेतु अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष शर्तें
(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) उपभोग हेतु ताजी सब्जी	नेपाल	सेयुडोमोनास वीरीडीफ्लावा (टमाटर के पत्तों में बैक्टीरियल धब्बे से मुक्त)	मृदा तथा अन्य पौधों से मुक्त

(ii) उपभोग हेतु अनाज (बीज) श्रेणी के लिए कालम (3) में केजनस केजन (पीजन पी) संबंधी क्र. सं. 58 में मद (xi) के पश्चात् तथा कालम (4), (5) तथा (6) में इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उत्पादों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, जिनके नाम हैं :-

(4)	(5)	(6)
(xii) सूडान	क्लावीगराला टूमेटोसीसोलिस (अफ्रीकी पोड बग से मुक्त)	(i) खर-पतवार संगरोध तथा मृदा संदूषण से मुक्त (ii) 21 डिग्री से0 पर 24 घंटों के लिए 32 ग्राम/घन मी. पर मिथाइल ब्रोमाइट के साथ घूमन अथवा पौध संरक्षण द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उपचार और उपचार उदगम देश/पुर्ननिर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(iii) कालम (3) में जगलान स्प. (अखरोट) संबंधी क्र.सं. 184 में, (ii) मद सं. (i) तथा कालम (4), (5) तथा (6) में इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् खपत (छिलके वाले तथा छिलके रहित) हेतु मेवा, श्रेणी हेतु प्रविष्टि (ii) में निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा जिनके नाम हैं :-

(4)	(5)	(6)
(ii) अफगानिस्तान	इसोविण्डा मुसकुला (एशियन अखरोट मोट) से मुक्त	एनएपी के अंतर्गत 21 डिग्री से0 अथवा उससे अधिक के लिए 16 ग्राम/घन मीटर पर मिथाइल क्रोमाइड के साथ घूमन अथवा इस प्रयोजन हेतु पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित ढंग से अन्य किसी घूमक/पदार्थ के साथ घूमक उपचार उदगम देश/पुर्ननिर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(iv) कालम (3) में लेंस कलीनेरिस (मसूर) संबंधी क्र.सं. 194 में मद सं. (iv) तथा कालम (4),(5) तथा (6) में इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् खपत हेतु अनाज (बीज) श्रेणी हेतु निम्नलिखित पदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, जिनके नाम हैं :-

(4)	(5)	(6)
(x) चिली	डिटीलेन्डस डीस्पेसी (स्टेम एंड बल्व मेमोटोड) से मुक्त	(i) खर-पतवार संगरोध तथा मृदा संदूषण से मुक्त (ii) 21 डिग्री से0 पर 24 घंटों के लिए 32 ग्राम/घन मी. पर मिथाइल ब्रोमाइट के साथ घूमन अथवा पौध संरक्षण द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उपचार और उपचार उदगम देश/पुर्ननिर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(v) क्रम संख्या 289 में रामतिल एसएसपी (रामतिल) मद (v) के बाद खपत के लिए अनाज (बीजों) सतम्भ (3) में प्रविष्टि के सामने और स्तम्भ (4), (5) और (6), में उससे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों से संबंधित क्रमशः प्रविष्टि की जायेगी, नामतः

(4)	(5)	(6)
(vi) बांग्लादेश	शून्य	(i) संगरोध खरपतवार बीजों और मृदा संदूषण से मुक्त. (ii) 21 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम प्रतिघन मीटर की दर पर मिथाईल ब्रोमाईड घूमन और अधिक या समतुल्य या भारत सरकार से पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा अन्य कोई उपचार। उपचार उत्पत्ति/पुनःनिर्यात के देश में पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी होने पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(VI) 'खपत/प्रसंस्करण हेतु बीज' प्रविष्टि में कालम (3) में ब्रीक्सा ओरेलाना (अन्नाटु) से संबंधित क्र.सं.-715 में, मद (2) तथा कालम (4),(5) तथा (6) से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, इनसे संबंधित निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः:

(4)	(5)	(6)
(iii) घाना	शून्य	संगरोध खरपतवार बीज; मृदा और अन्य पौध कचरा से मुक्त
(iv) आईवरी कोस्ट	शून्य	संगरोध खरपतवार बीज; मृदा और अन्य पौध कचरा से मुक्त

(vii) 'खपत हेतु ब्रूम स्टिक' प्रविष्टि में कालम (3) में, सेनोलाईना लेटीफोलिया (ब्रूम घास) से संबंधित क्र.सं.-767 में, मद (1) तथा कालम (4),(5) तथा (6) से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, इनसे संबंधित निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः:

(4)	(5)	(6)
(ii) नेपाल	शून्य	मृदा और अन्य पौध कचरे से मुक्त

(viii) क्र. सं. **773** तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियों को इनमें सम्मिलित किया जाएगा जिनके नाम हैं:

क्र. सं.	पौध प्रजाति	पौध सामग्री की श्रेणी	उत्पत्ति का देश	पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र में शामिल किए जाने हेतु अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"774	फैरेक्सिनस स्प. (एश)	तना डंठल सहित / बिना डंठल के	कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एग्रीलस पलेनी पीनाईस (इमेरेल्ड एस बोर्) (ख) एनोपलोफोरा गिलेबी पीनिस (एशीयन लॉग हॉर्न बीटल) (ग) हीटरोंबैसीडायन एनोसम (घ) टोफटोरा रेमोरम (सडन ओक डैथ, एस ओ डी) (ड) रिजोवियम रिजोजिन	(i) संगरोध खरपतवार बीज तथा मृदा संदूषण से मुक्त (ii) मिथाईल ब्रोमाइड घूमन 21 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा इससे अधिक पर 24 घंटों के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर अथवा 30 मिनट के लिए उष्म तापमान 56 डिग्री सेन्टीग्रेड पर अथवा कोई अन्य उपचार जिसे भारत सरकार के पौध संरक्षण

				(वैक्टीरियल गाल) (च) जाइले बोरस डीसपार (पीयर ब्लाइट वीटर)	सलाहकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपचार उदगम देश/पुननिर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पर पृष्ठांकित होना चाहिए।
775	चेनोपोडियम क्युनोवा (क्युनोवा)	खपत/प्रसंस्करण हेतु बीज/अनाज	पैरु	मुक्त : शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों, मृदा तथा अन्य पौध कचरों से मुक्त
776	कैपरीस स्पीनोसा (कैपर)	समानुपात हेतु पौध/सैंपलिंग	अर्जेटीना	शून्य	शून्य

4. अनुसूची 7 का संशोधन- पौध संगरोध (भारत के लिए आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची 7 में क्र.सं. 290 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियों को इनमें सम्मिलित किया जाएगा जिनके नाम हैं:

- “291 आचीस स्प.- खपत हेतु मूंगफली (भूने हुए)
292 कैरम कोपटीकम- खपत हेतु अजवायन के बीज
293 ओरयजा सैटीवा – प्रसंस्करण हेतु भूसा / भूसा रहित चावल
294 एजपैलाथस लिनेरियस- खपत हेतु रुई बोस चाय (किनवित)

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी. II(खण्ड. II)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या (अ)1322 (असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के (ई)167 (असा.), 29 मार्च, 2004 के (ई)427 (असा.), 31 मई, 2004 के (ई)644 (असा.), 25 फरवरी, 2005 के (ई)263 (असा.), 31 मार्च, 2005 के (ई)462 (असा.), 14 जुलाई, 2006 के (ई)1353 (असा.), 31 जुलाई, 2006 के (ई)1873 (असा.) 31 अक्टूबर, 2006, (ई) 2074 (ई), 06 दिसम्बर, 2006 के (ई)2069 (असा.), 3 दिसम्बर, 2007 के (ई)3 (असा.), 01 जनवरी, 2008 के (ई)2847 (असा.), 8 दिसम्बर, 2008 के (ई)2888 (असा.), 15 दिसम्बर, 2008 के (ई)2286 (असा.), 09 सितम्बर, 2009 के (ई)2390 (असा.), 16 सितम्बर, 2009 के (ई)3269 (असा.), 23 दिसम्बर, 2009 के (ई) 3298(असा), 24 दिसम्बर, 2009 के (ई) 907 (असा.), 21 अप्रैल, 2010 के (ई)2095 (असा.), 27 अगस्त, 2010 के (ई)2284 (असा.), 15 सितंबर, 2010 के (ई)2516 (असा.), 11 अक्टूबर, 2010 के (ई)2711 (असा.), 4 नवंबर, 2010 के (ई)3052 (असा.), 28 दिसंबर, 2010 के (ई)887 (असा.), 28 अप्रैल, 2011 के (ई)2845 (असा.), 21 दिसंबर, 2011 के (ई)296 (असा.), 17 फरवरी, 2012 के (ई)2775 (असा.), 23 नवंबर, 2012 के (ई)799 (असा.), 21 मार्च, 2013 के का.आ.1378 (असा.), 28 मई, 2013 के (ई)1531(असा.), 14 जून, 2013 के (ई)2919(असा), 26 सितंबर, 2013 के का. आ. 1508 (ई) 13 जून, 2014 तथा (ई)1632, 27 जून, 2014, (ई)2320, 12 सितंबर, 2014 (ई)2542 (ई), 29 सितंबर, 2014 के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Cooperation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3114(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Sixth Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 in Schedule II after serial number 63 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be added in the respective columns:—

'64 Panchi Gujaran, Sonapat	Haryana	Inland Container Depot	National Plant Quarantine Station, Rangpuri'
-----------------------------	---------	------------------------	--

3. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

(i) Against serial No. 53, relating to *Brassica spp.*(Cabbage, cauliflower, Broccoli etc.) in column (3) the existing entries shall be numbered as item (i) and (ii) thereof and after item (ii) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (3), (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely :—

Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) Fresh vegetable for consumption	Nepal	Free from: <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato(USA))	Free from soil and other plant debris.

(ii) Against serial no.58, relating to *Cajanus cajan.*(Pigeon pea) in column (3) for the category 'Grain (seed) for consumption, after item (xi) and the entries relating thereto in column (4), (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely :—

(4)	(5)	(6)
(xii) Sudan	Free from: <i>Clavigralla tomentosicollis</i> (African pod bug)	(i) Free from quarantine weed seeds and soil contamination. (ii) Fumigation with Methyl bromide at 32 g/ m ³ for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the Country of origin/re-export

(iii) Against serial number 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3), against entry (ii) for the category 'Dry fruits for consumption(shelled and unshelled)' after item (i) and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely :—

(4)	(5)	(6)
(ii) Afghanistan	Free from: Erschoviella musculana (Asian walnut moth)	Fumigation with Methyl bromide at 16 g/ m ³ for 24hrs at 21°C and above under NAP or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the Country of origin/re-export

- (iv) Against serial number 194, relating to *Lens culinaris* (Lentils) for the category Grain (seed) for consumption, in column (3), after item (ix) and entries relating thereto in columns (4),(5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:—

(4)	(5)	(6)
(x) Chile	Free from : Ditylenchus dipsaci (stem and bulb nematode)	(i) Free from quarantine weeds seeds and soil contamination. (ii) Methyl bromide fumigation @ 32g/ m ³ for 24hrs at 21°C or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Govt. of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the Country of origin/re-export.

- (v) Against serial number 289, relating to *Sesamum spp.*(Sesamum) in column (3) against entry 'Grains (seeds) for consumption, after item (v) and entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

(4)	(5)	(6)
(vi) Bangladesh	Nil	(i) Free from quarantine weed seeds and soil contamination. (ii) Methyl Bromide fumigation @ 16 g/m ³ for 24 hrs at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

- (vi) Against serial number 715, relating to *Bixa orellana*(Annatto) in column (3) against entry 'Seeds for consumption/processing', after item (ii) and entries relating thereto in columns (4),(5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:—

(4)	(5)	(6)
(iii) Ghana	Nil	Free from quarantine weed seeds, soil and other plant debris.
(iv) Ivory Coast	Nil	Free from quarantine weed seeds, soil and other plant debris.

- (vi) Against serial number 767, relating to *Thysanolaena latifolia* (Broom grass) in column (3) against entry 'Broom sticks for consumption, after item (i) and entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

(4)	(5)	(6)
(ii) Nepal	Nil	Free from soil and other plant debris.

- (viii) After serial number 773 and the entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:—

S. No.	Plant Species	Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“774	Fraxinus spp. (Ash)	Logs with/ without bark	Canada	Free from: (a) <i>Agrilus planipennis</i> (Emerald ash borer) (b) <i>Anoplophora glabripennis</i> (Asian long horned beetle) (c) <i>Heterobasidion annosum</i> (d) <i>Phytophthora ramorum</i> [Sudden oak death (SOD)] (e) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (Bacterial gall) (f) <i>Xyleborus dispar</i> (Pear blight beetle)	(i) Free from quarantine weeds seeds and soil contamination. (ii) Methyl bromide fumigation @ 48g/ m ³ for 24hrs at 21°C and above or equivalent thereof or Heat treatment at 56 ⁰ C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Govt. of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the Country of origin/re-export.
775	Chenopodium quinoa (quinoa)	Grain/Seeds for consumption/ processing	Peru	Free from: NIL	Free from quarantine weed seeds, soil and other plant debris.
776	Capparis Spinosa (Caper)	Plants/ saplings for propagation	Argentina	Nil	Nil”

4. Amendment of Schedule VII.- In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 after serial number 290 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely:—

- “291 Arachis spp. – Peanut (roasted) for consumption.
292 Carum copticum – Ajwain seeds for consumption.
293 Oryza sativa – Rice bran/husk dried for processing.
294 Aspalathus linearis – Rooibos tea (fermented) for consumption.”

[F. No. 8-57/2011-PP. II (Vol. II)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 1322(E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended *vide* number S.O. 167(E), dated 6th February, 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May, 2004, S.O. 263(E), dated 25th February, 2005, S.O. 462(E), dated 31st March, 2005, S.O. 1121(E), dated 14th July, 2006, S.O. 1353(E), dated 31st July 2006, S.O. 1873(E), dated 31st October, 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December, 2006, S.O. 2069(E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated

1st January, 2008, S.O. 2847(E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888(E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390(E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298(E), dated 24th December, 2009, S.O. 907(E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284(E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516(E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711(E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887(E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845(E) dated 21st December, 2011, S.O. No. 296(E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O. 1378(E) dated 28th May, 2013, S.O. 1531(E) dated 14th June, 2013, S.O. 2919(E) dated 26th September, 2013, S.O. 1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No. 1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No. 2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No. 2542(E) dated 29th September, 2014 and S.O. No. 2879(E) dated 11th November, 2014.